भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए ,चतुर्थ तल, ब्लॉक-2, गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines Kamyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,

Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल:gandhinagar.ibm@gmail.com

Mine Code-07GUJ09021

Date-25/6/2018

मिसिल संख्या : GUJ/Khera/Bxt-023

प्रेषित : M/s Mahendra Bauxite,

15/A Shivam Park Society, Dakar Road, Kapadwanj, Distt-Kheda, Gujarat-387620

विषय:- गुजरात राज्य के खेड़ा जिले, कपरवंज तालुका, तैयबपुरा गाँव में स्थित आपकी बाक्साइट खदान, सर्वे नंबर 37P, क्षेत्रफल 0.8499Ha हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत। महोदय.

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 13/3/2018 को प्रतिनिधि श्री बृजेश पटेल, की उपस्थिती में किया गया था तथा खनिज सरक्षण एंव विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है । तदुपरान्त इस कार्यालय द्वारा उल्लंघन पत्र दिनांक 03/5/2018 को अनुपालना हेत् जारी किया गया था ।

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
11(1)	No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except
	in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of
	Mines: - In your case, It was observed during inspection that Mining Operations were being carried
	out without approved Review of Mining Plan from 2013-14-600T, 2014-15-8305T, 2015-16-15575T,
	2016-17-8635T, 2017-18till date. The last scheme of mining was approved vide letter No 682
	(23)523/09/MCCM (N) UDP dated 28.6.2010 for the period of 2010-11 to 2012-13.
Rule	The holder of a mining lease shall submit <u>online returns</u> in respect of each mine to the Regional
45(5)(b) &	Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following
	manner. (b) a monthly return which shall be submitted before the 10 th day of every month in
45(5)(c)	respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if
	it is not digitally signed, in the prescribed form. © an annual return which shall be submitted
	before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form along
	with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the prescribed form.
	In your case, you have not submitted the online returns from 2011-12 onwards to till date to
	this office.
Rule	A full time Mining Engineer and Geologist have not been employed for the purpose of carrying
55(1)(3)	out mining operations in accordance with these rules.

- 02. Your reply furnished vide letter No. NIL dated 12/6/2018 received in this office on 13/6/2018 was duly considered & violation of rules 27(1), 35(2), 26(2) have been taken as complied but violation of rule 11(1), 45(5)(b) & 45(5)(c) & 55(1)(3) were not found satisfactory.
- 03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियांए बंद की जा सकती है, और / या आपके विरूद्व अभियोग दायर किया जा सकता है । और / या राज्य सरकार से नियम 45(7)(a)(i) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियांए बंद करने और / या आपके विरूद्व अभियोग दायर करने की सिफ़ारिश की जा सकती है।

04. अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से <u>30 दिन</u> के भीतर उपरोक् नियमों के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय मेंदर्ज करावें I

> भवदीय [(जी. राम) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

- 01. खान नियंत्रक(उ.आ.),भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 02. आयुक्त, भूविज्ञान एंव खनन ,निदेशालय , गुजरात को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 03. उप महानिदेशक (सांखिकी), खान एंव खनिज' प्रभाग,भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर को सूचनार्थ प्रेषित, यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।

(जी. राम) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो,गांधीनगर